

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

संदर्भ सं.झा.के.वि./वि.क./10/201(रा.भा.)/137

दिनांक - 15, मार्च, 2018

परिपत्र

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज जैसे संकल्प, सूचना, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, ठेका, संविदाएं, लाइसेंस, परमिट, रेडर फार्म, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञापि द्विभाषी रूप में जारी किया जाना आवश्यक है।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं।

अतः सभी अनुभाग / प्रभाग / कक्ष के प्रधान / प्रभारी से आग्रह है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें। हिन्दी कक्ष से इस कार्य के लिए सहायता ली जा सकती है।

रतन
कुलसचिव (प्रभारी)
13-3-18

वितरण -

1. सभी स्कूल के डीन
2. पुस्तकालयाध्यक्ष
3. विभागाध्यक्ष
4. केन्द्र के समन्वयक
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा)
6. उप-कुलसचिव (प्रशासन)
7. सहायक कुलसचिव -I/II/III
8. चिकित्सा अधिकारी
9. सिस्टम एनालिस्ट
10. जनसंपर्क अधिकारी
11. अनुभाग अधिकारी (लेखा / स्थापना)
12. अनुभाग अधिकारी (परीक्षा)
13. कुलपति के निजी सचिव
14. कुलसचिव के निजी सचिव
15. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
16. गार्ड फाइल
17. संबंधित फाइल

रतन
13-3-18
कुलसचिव (प्रभारी)